-23-

प्राथमिकता

संख्या– 923/68–5–2019

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5

लखनऊः दिनांकः 15 अक्टूबर, 2019

विषयः मण्डल में जूता–मोजा एवं स्कूल बैग की आपूर्ति/वितरण की जांच के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कुछेक जनपदों में स्कूल बैग/जूता–मोजा की आपूर्ति एवं वितरण शत–प्रतिशत नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त कतिपय जनपदों से आपूर्तित स्कूल बैग/जूता/मोजा के सम्बन्ध में अधोमानक होने की शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं। उल्लेखनीय है कि स्कूल बैग/जूता/मोजा के संबंध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्गत पृथक–पृथक विस्तृत दिशा–निर्देशों के प्रस्तर–7.5 में आपूर्तित स्कूल बैग/जूता/मोजा की गारण्टी के सम्बन्ध में निम्नवत् व्यवस्था प्रावधानित की गयी है :–

"आपूर्तित स्कूल बैग/जूता/मोजा की वारंटी आपूर्ति तिथि से एक वर्ष (12 माह) निर्धारित की गयी है। यदि वारंटी अवधि के अन्तर्गत स्कूल बैग/जूता/मोजा में मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट उत्पन्न होता है, तो आपूर्ति को इस संबंध में दी गयी सूचना के 15 दिवस के अंदर, डिफेक्टेड स्कूल बैग/जूता/मोजा को आपूर्तिकर्ता द्वारा विद्यालय स्तर से उठाया जाना होगा तथा उसके सापेक्ष उतनी ही संख्या में स्कूल बैग/जूता/मोजा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने होंगे।"

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि *शासनादेश संख्या–775/68–5–2019 दिनांक 26.08.2019* द्वारा समग्र शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के निरीक्षण हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) की अध्यक्षता में गठित 04 सदस्यीय **उड़नदस्ता दल** आगामी 07 दिवस में अपने मण्डल के प्रत्येक जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड के रैण्डम आधार पर चयनित न्यूनतम 03 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल बैग/जूता/मोजा की आपूर्ति तथा वितरण एवं गुणवत्ता की भी जांच करेंगे तथा आपूर्तित स्कूल बैग/जूता/मोजा के अधोमानक/डिफेक्टिव होने की स्थिति में इनका सैम्पल भी अपनी आख्या के साथ सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। समस्त उड़नदस्ता दल अपनी–अपनी जांच आख्याएं सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को आगामी 07 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे।

3. सम्बन्धित जिलाधिकारी जॉच में स्कूल बैग/जूता/मोजा की गुणवत्ता के अधोमानक होने अथवा डिफेक्टेड पाए जाने की स्थिति में शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश में उक्त प्रस्तर–1 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार संपूर्ण अधोमानक/डिफेक्टिव स्कूल बैग/जूता/मोजा को निर्धारित अवधि में प्रतिस्थापित (Replace) कराने हेतु सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को लिखित रूप से निर्देशित करेंगे तथा प्रतिस्थापन का कार्य ससमय (15 दिवस) पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता निर्धारित समयावधि में आपूर्तित अधोमानक/ डिफेक्टिव जूता/मोजा/स्कूल बैग में प्रतिस्थापित (Replace) करने में असफल रहता हैं तो उनके विरूद्ध सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रभावी विधिसम्मत दण्डात्मक तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4. समस्त जिलाधिकारी जनपद में की गयी कार्यवाही की आख्या महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश को ई–मेल (upefaspo@gmail.com) पर एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक) को ई–मेल (directorbasiceducation@gmail.com) पर उपलब्ध कराएंगे। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त जनपदों की समेकित आख्या शासन को 10 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे।

उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीया,

15/x/19

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, (डी0जी0एस0ई0), निशातगंज, उत्तर प्रदेश।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सदस्य, उड़नदस्ता दल (द्वारा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक), उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी) 15.x.19
अनु सचिव ।